न्यूज़ टुडे

सार्वभौमिक आधारिक आय (Universal Basic Income: UBI) के माध्यम से कल्याणकारी व्यवस्था को नया स्वरूप

सार्वभौमिक आधारिक आय (UBI) को पहली बार **आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17** द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में सामाजिक-आर्थिक दबावों के कारण इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। ऐसा इस कारण, क्योंकि पारंपरिक मॉडल्स अब इन दबावों का समाधान नहीं कर सकते हैं, जैसे:

- **संपत्ति संबंधी बढ़ती असमानता:** अमीर और गरीब के बीच का अंतराल स्वतंत्रता-पूर्व युग जैसी स्थितियों तक पहुंच गया है।
- **प्रौद्योगिकी के कारण रोजगार में बदलाव:** स्वचालन (Automation) और AI के कारण भारत के अनौपचारिक एवं अर्ध-कुशल कार्यबल के समक्ष बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- **बढ़ती आर्थिक असुरक्षा:** गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कार्य ने आय अस्थिरता को बढ़ाया है तथा सामाजिक सुरक्षा को कम किया है।
- **सामाजिक-पर्यावरणीय तनाव का तीव्र होना:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण विस्थापनों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती समस्याओं के कारण पारिवारिक आय स्थिरता पर दबाव बढ़ रहा है।

सार्वभौमिक आधारिक आय (UBI) की अवधारणा

- **परिभाषा:** सभी नागरिकों को समय-समय पर व बिना शर्त नकद अंतरण की सुविधा देना, भले ही उनकी आय और रोजगार कुछ भी हो।
- **मूल सिद्धांत:**
  - **सार्वभौमिकता:** इसमें सभी नागरिकों को कवर किया जाता है।
  - **बिना शर्त:** रोजगार या आय की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
  - **व्यापक सामाजिक भूमिका:** व्यक्तियों को आर्थिक विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाती है।
- **वैश्विक उदाहरण:** फ़िनलैंड, केन्या जैसे देशों में UBI की वजह से स्वास्थ्य-देखभाल, खाद्य सुरक्षा और मानसिक सेहत में सुधार हुआ है।

UBI के पक्ष और विपक्ष में तर्क (आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17)

UBI के पक्ष में तर्क	UBI के विपक्ष में तर्क
गरीबी में कमी: गरीबी और सुभेद्यता (vulnerability) को एक ही चरण में कम करती है।	**दिखावापूर्ण खर्च:** परिवार में विशेष रूप से पुरुष सदस्यों द्वारा धन के अनुपयुक्त खर्च का जोखिम बना रह सकता है।
व्यापक सामाजिक भूमिका और विकल्प: लाभार्थियों को उनके स्वयं के कल्याण के मामले में निर्णय लेने में सशक्त बनाती है।	**नैतिक खतरा:** श्रम आपूर्ति को कम कर सकती है और निर्भरता को प्रोत्साहित कर सकती है।
कोई पीछे ना छूटे: सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए।	**लैंगिक असमानता:** परिवार में UBI खर्च करने पर पुरुषों का नियंत्रण हो सकता है तथा महिलाएं वंचित हो सकती हैं।
आघातों से संरक्षण: आय, स्वास्थ्य और आजीविका संबंधी आघातों के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है।	**कार्यान्वयन बोझ:** निर्धनों के बीच वित्तीय सुलभता की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, UBI बैंकिंग पद्धति पर बहुत अधिक दबाव डाल सकती है।
वित्तीय समावेशन: बैंक के जरिए भुगतान-अंतरण से बैंक खातों का अधिक उपयोग होगा जिससे बैंक मित्र (Banking correspondents) को अधिक लाभ होगा। साथ ही, आय बढ़ने से बैंक से ऋण लेना भी आसान हो जाएगा।	**राजकोषीय जोखिम:** एक बार शुरू होने के बाद वापस लेना मुश्किल तथा उच्च, दीर्घकालिक लागत।
मानसिक शांति: बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दैनिक चिंता को कम करती है।	**सार्वभौमिकता संबंधी चिंताएं:** इसका लाभ अमीरों तक भी पहुंचने के कारण इसका विरोध हो सकता है।
प्रशासनिक दक्षता: कई योजनाओं की जगह ले सकती है; रिसाव और प्रशासनिक बोझ को कम कर सकती है आदि।	**बाजार संबंधी जोखिम:** मूल्यों के उतार-चढ़ाव के दौरान नकदी की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जबकि खाद्य सब्सिडी उतार-चढ़ाव वाले बाजार मूल्यों के अधीन नहीं होती।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि गिरफ्तारी का लिखित आधार न देने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी

मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी लिखित रूप में नहीं दी जाती, तो यह **संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन** है।

निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार:** यह संविधान के **अनुच्छेद 22(1)** के तहत एक **मूल और अनिवार्य सुरक्षा उपाय** है। यह **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** में वर्णित अपराधों सहित सभी अपराधों पर लागू होता है।
  - इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि यह संवैधानिक सुरक्षा केवल विशेष कानूनों जैसे **गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) या धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी कानूनों के मामलों में लागू है।
- **अपवाद वाली परिस्थितियां:** यदि किसी स्थिति में तुरंत लिखित आधार देना संभव नहीं है, तो आरोपी को **मौखिक रूप से बताया** जा सकता है।
  - हालांकि, लिखित आधार **दो घंटे के भीतर आरोपी को रिमांड कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के सामने** पेश करने से पहले जरूर प्रदान करना होगा।
    - इससे **गिरफ्तार व्यक्ति के अनुच्छेद 22(1) के तहत संवैधानिक अधिकारों** की सुरक्षा और **आपराधिक जांच की परिचालन संबंधी निरंतरता** को बनाए रखने के बीच एक **न्यायसंगत संतुलन** सुनिश्चित होगा।
- **संचार का तरीका:** संचार **लिखित** में होना चाहिए और **गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा** में होना चाहिए।

संबंधित अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 21:** किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया** के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- **अनुच्छेद 22(1):** गिरफ्तार किए गए **व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की सूचना** (जितनी जल्दी हो सके) दी जानी चाहिए, और उसे अपनी पसंद के **विधिक व्यवसायी से परामर्श करने तथा अपना बचाव करने के अधिकार से वंचित** नहीं किया जाएगा।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने पहली बार गिद्धों पर "संकटग्रस्त प्रजातियों का अखिल भारतीय आकलन और निगरानी रिपोर्ट" जारी की

इस देशव्यापी प्रथम सर्वेक्षण में **चार अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered)** गिद्ध प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये प्रजातियां हैं- **श्वेत पुट्ठे वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध, पतली चोंच वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध**। इस आकलन में **प्रजनन करने वाले वयस्क गिद्धों की संख्या** का अनुमान लगाया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **भौगोलिक दायरा:** सर्वेक्षण में **17 राज्यों के 216 स्थलों** पर गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की गई है।
- **रेंज क्षेत्र में कमी:** देशभर में ऐसे लगभग **70% स्थलों पर गिद्धों के घोंसले नहीं** पाए गए हैं, जहां पहले इनकी उपस्थिति होती थी।
- **संरक्षित क्षेत्रों (PAs) पर निर्भरता:** सभी दर्ज किए गए घोंसलों में से **54% संरक्षित क्षेत्रों** में पाए गए हैं।
- **प्रजाति-विशिष्ट निष्कर्ष:**
  - **भारतीय गिद्ध (Gyps indicus/ जिप्स इंडिकस):** यह मुख्य रूप से **मध्य प्रदेश** और **राजस्थान** में पाया जाता है। इनकी सबसे बड़ी आबादी **मुकुंदरा हिल्स** में पाई जाती है। यह ज्यादातर **सुरक्षित चट्टानी स्थलों** पर रहता है।
  - **श्वेत पुट्ठे वाला गिद्ध (Gyps bengalensis/ जिप्स बंगालेंसिस):** **हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी** में पाया जाता है।
  - **पतली चोंच वाला गिद्ध (Gyps tenuirostris/ जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस):** मुख्य रूप से **असम के ऊपरी भाग** में प्रजनन करता है।
  - **लाल सिर वाला गिद्ध (Sarcogyps calvus/ सरकोजिप्स कैल्वस):** यह **मध्य प्रदेश** में पाया गया जाता है। यह **सघन व मानव हस्तक्षेप से मुक्त जंगलों** में रहता है। इसकी आबादी **अत्यंत कम और बिखरी** हुई है।

गिद्ध

- **परिचय:** गिद्ध बड़े आकार के **मांसभक्षी पक्षी** हैं। ये भोजन के लिए मुख्य रूप से मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये अधिकतर **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** में पाए जाते हैं। भारत में इनकी **9 प्रजातियां** मिलती हैं।
- **महत्त्व:** गिद्ध पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि वे मृत जानवरों के शव खाकर दुर्गन्ध एवं बीमारियों को फैलने से रोकते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:** गिद्धों को **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I** में शामिल किया गया है।
- **मुख्य खतरे:** पर्यावास नष्ट होना, भोजन की कमी, **डाइक्लोफेनेक** जैसी दवाओं से विषाक्तता, बिजली के तारों से करंट लगना आदि।
- **संरक्षण उपाय: डाइक्लोफेनेक, केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक** जैसी दवाओं पर प्रतिबंध; **गिद्ध संरक्षण कार्य योजना (2020–25)** का कार्यान्वयन आदि।

जलवायु, स्वास्थ्य, जैव विविधता और न्याय संकटों के समाधान हेतु खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन महत्वपूर्ण है

हाल ही में, जारी **EAT-लैंसेट आयोग की रिपोर्ट** के अनुसार भले ही वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके स्वच्छ ऊर्जा अपना लिया जाए, फिर भी **खाद्य प्रणालियों** के कारण वैश्विक तापमान **पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य** से अधिक हो सकता है।

- **'खाद्य प्रणालियां'** उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, उपभोग और निपटान में शामिल **सभी गतिविधियों** को संदर्भित करती हैं। साथ ही, इनके **आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव** भी इनमें शामिल होते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- खाद्य प्रणालियां **पांच ग्रहीय सीमाओं को पार** करने के लिए जिम्मेदार हैं। **इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - भूमि प्रणाली परिवर्तन; जैवमंडल की अखंडता; ताजे जल में परिवर्तन; जैव-भू-रासायनिक प्रवाह और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHGs)।
  - कृषि और खाद्य प्रणालियां **कुल GHGs का लगभग 30% उत्सर्जित** करती हैं।
- **खाद्य प्रणालियों में असमानताएं:** विश्व की **30% सबसे धनी आबादी** खाद्य प्रणालियों से होने वाले **कुल पर्यावरणीय दबावों के 70% से अधिक** के लिए जिम्मेदार है।
- **भारत का मामला:** आर्थिक योगदान में **कमी** के बावजूद, **कृषि 2050 तक GDP और रोजगार का बड़ा स्रोत** बनी रहेगी। इसलिए, **व्यापक श्रम बल** के कारण खाद्य प्रणालियों का पुनर्गठन अधिक चुनौतीपूर्ण होगा।

खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए मुख्य सिफारिशें

- **ग्रह के अनुकूल आहार (PHD):** यह अधिकांश मौजूदा आहारों के **पर्यावरणीय प्रभाव और पोषण संबंधी कमियों** को दूर करेगा।
  - यह आहार **पादप आधारित** होता है। इसमें **साबुत अनाज, फल, सब्जियां, मेवे और दालें** प्रमुख हैं, जबकि **मछली, डेयरी उत्पाद और मांस** का सेवन **सीमित या मध्यम** मात्रा में किया जाता है।

- **संरक्षण कृषि (Conservation Agriculture):** यह **सतत और पारिस्थितिक गहनता कार्य-पद्धतियों की संपूरकता** है, जिसमें-
  - मृदा में कम हस्तक्षेप,
  - मृदा को लगातार ढके रखना, तथा
  - फसल विविधीकरण शामिल हैं।
- **नीतिगत लक्ष्यों के साथ खाद्य प्रणालियों का एकीकरण:** इसमें पेरिस समझौता, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, राष्ट्र-विशिष्ट खाद्य-आधारित आहार संबंधी दिशा-निर्देश आदि शामिल हैं।

अन्य सुर्खियां

IBC और PMLA

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के बीच विवादों को दूर करने के लिए नए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं, ताकि संकटग्रस्त कंपनियों के लिए शीघ्र समाधान सुनिश्चित किए जा सकें।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर

- दिवाला-समाधान पेशेवर (Insolvency professionals) **प्रवर्तन निदेशालय** द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों को **मुक्त कराने के लिए** दिवालियापन मामलों से निपटने वाले **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT)** की बजाय **विशेष PMLA अदालतों** में जा सकते हैं।

IBC और PMLA

- IBC का उद्देश्य परिसंपत्ति मूल्य को अधिकतम करना और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। इसके विपरीत, PMLA का उद्देश्य अपराधियों को आपराधिक आय से वंचित करना है।
- PMLA और IBC दोनों कानूनों में **अध्यारोही (overriding) प्रभाव** वाले प्रावधान हैं। PMLA में यह प्रावधान **धारा 71** में, जबकि IBC में **धारा 238** में यह प्रावधान किया गया है।
  - **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होने का अर्थ है-** इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि **विलंब के कारण निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है, तो माध्यस्थम् निर्णय (पंचाट) को रद्द** किया जा सकता है।

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यद्यपि **विलंब अकेले किसी निर्णय को रद्द करने का स्वतंत्र आधार नहीं है, फिर भी यदि ऐसा विलंब निर्णय की गुणवत्ता, तर्क या निष्पक्षता को कमजोर करता है, तो यह निर्णय को नकारात्मक तरीके से प्रभावित** कर सकता है।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के बारे में

- इसका उद्देश्य **देशी माध्यस्थम्, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी माध्यस्थम्** संबंधी निर्णयों के प्रवर्तन से संबंधित कानून को **समेकित तथा संशोधित** करना है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (UNCITRAL) द्वारा 1985 में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् विषयक आदर्श कानून** पर आधारित है।

अब्राहम अकॉर्ड्स

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि **कजाकिस्तान** अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा होगा।

अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में

- **उद्देश्य: इजरायल** और विविध तथाकथित **उदारवादी अरब देशों** के बीच संबंधों को सामान्य बनाकर **मध्य पूर्व** में तनाव को कम करना, ताकि इजरायल के साथ इन देशों के **औपचारिक राजनयिक, व्यापारिक व सुरक्षा** संबंध सुनिश्चित हो सकें।
  - इस समझौते का नाम **बाइबिल के अब्राहम** के नाम पर रखा गया है, जिसे **यहूदी और अरब** दोनों ही अपना **साझा पूर्वज एवं बंधुत्व का प्रतीक** मानते हैं।
- **परिचय**-अब्राहम समझौता पर सितंबर 2020 में अमेरिकी मध्यस्थता में इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में मोरक्को भी इस समझौते में शामिल हुआ।

स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP-30

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने "स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP-30" रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वर्ष 2025 अब तक दर्ज दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहने की संभावना है।
  - वर्ष 2025 सहित पिछले 11 वर्ष मानव इतिहास के सबसे गर्म 11 वर्ष रहे हैं।
- यह दर्शाता है कि दुनिया पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर नहीं है।
- वर्ष 2015 से 2025 तक का समय पिछले 176 वर्षों में सबसे गर्म 11 सालों की अवधि रही।
- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) की वायुमंडलीय सांद्रता 2024 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी और 2025 में भी बढ़ रही है।
- नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और जलवायु कार्रवाई योजनाएं अब विज्ञान आधारित जलवायु सेवाओं पर अधिक निर्भर होती जा रही हैं।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 पर FAC की सिफारिशें

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधानों में तर्कसंगतता और एकरूपता लाने की सिफारिश की है।

मुख्य सिफारिशें

- **दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण:** जिस वन क्षेत्र में उल्लंघन हुआ है, उसी के बराबर क्षेत्रफल पर दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना चाहिए।
  - दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, उस कानूनी रूप से अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त होता है, जो किसी वन भूमि के गैर-वन उपयोग के कारण उस पर लागू होता है।
- दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण और दंडात्मक NPV उपायों के बीच तालमेल स्थापित करना।
  - NPV (निवल वर्तमान मूल्य) का अर्थ है, वन क्षेत्र से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं का आर्थिक मूल्य, जिसे गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के बदले चुकाया जाता है।

GPS स्पूफिंग

एयरलाइंस कंपनियों ने दिल्ली में GPS स्पूफिंग में वृद्धि की सूचना दी है। इसके कारण सरकार ने असामान्य नेविगेशन व्यवधानों की जांच शुरू कर दी है।

GPS स्पूफिंग के बारे में

- यह एक प्रकार का साइबर हमला है, जो नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए गलत GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) सिग्नल प्रसारित करता है।
- **कार्यप्रणाली:** यह GPS उपग्रहों के कमजोर संकेतों का फायदा उठाकर उन्हें नकली संकेतों से बदल देते हैं, जिससे रिसीवर गलत अवस्थिति दिखाता है।
- **खतरे:** यह विमानन, लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रकों को बाधित कर सकता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

हाल ही में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अधिक केंद्रीकरण के लिए दो नए विशेष संवर्गों (cadres) के सृजन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसमें केंद्रीय राजस्व लेखा परीक्षा (CRA) संवर्ग और केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षा (CEA) शामिल हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में

- **प्रकृति:** संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय।
- **नियुक्ति:** राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है।
- **अवधि:** 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
- **पद से हटाना:** राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसे पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से तथा जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- **वेतन व सेवा की शर्तें:** CAG का वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा तय किए जाते हैं। साथ ही, उसकी नियुक्ति के बाद इन शर्तों में उसके अहित के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- **व्यय:** प्रशासनिक लागत, वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) ने PMKVY के 178 प्रशिक्षण भागीदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के बारे में

- यह कौशल प्रमाणन के लिए एक प्रमुख योजना है। इसे भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका प्राप्त करने हेतु उद्योग-संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है।
- **मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय।
- **आरंभ:** 2015 में शुरू हुई थी।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में, इसका चौथा चरण यानी प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0) लागू है।
- **घटक:** इसमें अल्पकालिक प्रशिक्षण {राष्ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप कोर्सेज़}, विशेष परियोजनाएं, और पूर्व अधिगम की मान्यता शामिल हैं।
- **भौगोलिक कवरेज:** योजना के तहत आकांक्षी, पिछड़े, सीमावर्ती, जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

पेरू (राजधानी: लीमा)

भारत और पेरू के बीच व्यापार समझौते की 9वें दौर की वार्ता पेरू में सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

भौगोलिक अवस्थिति

- **अवस्थिति:** यह पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
- **सीमाएं:** उत्तर में इक्वाडोर व कोलंबिया; पूर्व में ब्राजील; दक्षिण-पूर्व में बोलीविया तथा दक्षिण में चिली से लगती है।
- **सीमावर्ती जल निकाय:** इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है।

भौगोलिक विशेषताएं

- पेरू तीन लंबवत क्षेत्रों में विभाजित है: कोस्टा (तटीय मैदान), सिएरा (एंडीज उच्चभूमि) और अमेज़ोनिया (सेल्वा क्षेत्र)।
- **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट हुआसकरन (6,768 मीटर)।
- **टिटिकाका झील:** इसका प्रसार बोलीविया में भी है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है (12,500 फीट)।

अर्थव्यवस्था (भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार)

- पेरू लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है।
- भारत पेरू के सोने और तांबे का एक प्रमुख आयातक है।
- पेरू कई क्षेत्रीय समूहों से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। यह SICA (मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली) का एक पर्यवेक्षक, मर्कोसुर का एक एसोसिएट सदस्य, और पैसिफ़िक एलायंस का एक पूर्ण सदस्य है।